

क्रमांक  
द्वारा तहसील / नगरपालिका / नगरनिगम / विकास प्राधिकरण

कोटा

सेवामें  
आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान  
जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

(अकलंक) विद्यालय एसोसिएशन (अकलंक कॉलेज) (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता : बसंत विहार कोटा (राज.)
2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर	—	—	—	—	—
भूमि का वर्ग मीटर माप	—	6850 (कुल) 3127 (मघ.)	—	—	—
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक / संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि	—	शैक्षणिक	—	—	—

जमावंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या / संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट / लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

(अकलंक) विद्यालय एसोसिएशन (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित / संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

मो. 91 335112 एवं 2467 पता  
खसरा UPT/7426 दि. 29.3.03 अजमेर

बहुमुखी अधिकारी  
(हस्ताक्षर, नाम व कोयासिद्ध मोहर)

33 | संप्रति सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रदेश प्रतियोगिता (वर्ष 2022-23) का आयोजन नहीं किया जायेगा।

सचिव  
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन  
बसंत विहार कोटा